(5)

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक /01/2014

क्रमांक /1561/2013/17/मेडि–1 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 2–5/2013/17/मेडि–1, दिनांक 10 मार्च, 2013 द्वारा श्रीमती पुष्पा चौहान, स्टाफ नर्स, पी.सी. सेठी चिकित्सालय, इंदौर का स्थानांतरण नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर में किया गया था।

2/ राज्य शासन एतद् विभागीय आदेश दिनांक 10 मार्च, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती पुष्पा चौहान, स्टाफ नर्स की पदस्थापना यथावत नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर में रखते हुए इंदौर जिले के एम0सी0एच0 का प्रभार सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक 259 /1561/2013/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 27/01/2014

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
2. स्टाफ आफीसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

---

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. भोपाल **की ओर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोउ कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें,**
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर संभाग, इंदौर
4. जिला कोषालय अधिकारी, इंदौर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर,
6. श्रीमती पुष्पा चौहान, स्टाफ नर्स, पी.सी. सेठी चिकित्सालय, इंदौर,
7. स्टाफ फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 6/03/2014

क्रमांक एफ 2–33/2006/सत्रह/मेडि–1:: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.02.2014 द्वारा श्रीमती एफ. हक, सिस्टर टयूटर को पदोन्नति उपरांत स्वा.कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, छिंदवाड़ा से पी.एच.एन/डी.पी.एच.एन. (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर में पदस्थ किया गया हे। टंकण त्रुटि के कारण श्रीमती एफ.हक की वर्तमान पदस्थापना नरसिंहपुर के स्थान पर छिंदवाड़ा हो गई है।

2/ अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती एफ.हक की वर्तमान पदस्थापना छिंदवाड़ा के स्थान पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण, केन्द्र, नरसिंहपुर पढ़ा जावे।

MIS-1 (N)
06/III/14.

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ.क्रमांक एफ 2–33/2006/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 6/03/2014
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
2. स्टाफ आफीसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

---

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
2. आयुक्त,स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल,
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं छिंदवाड़ा,
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर, नरसिंहपुर
8. संबंधित श्रीमती एफ. हक
9. विभागीय जांच/ स्टाफ फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र0 9/नर्सिंग/सेल–2/2014/900 भोपाल दिनांक 9 /9 /2014

–: आदेश :–

संचालनालय के आदेश क्र0 9/नर्सिंग/सेल 2/11/2174 दिनांक 14.7.2012 के द्वारा श्रीमति लक्ष्मी चौरसिया, स्टॉफ नर्स का प्रशासकीय आधार पर स्थानान्तरण जिला चिकि. भोपाल से जिला चिकि. शहडोल किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्रीमति लक्ष्मी चौरसिया, स्टॉफ नर्स द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 13091/2012(S) दायर की गई।

न्यायालयीन प्रकरण क्र. डब्ल्यू.पी. 13091/2012(S) में पारित माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 27.8.2012 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यदि वादी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ तर्कसंगत अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनकी समस्याओं/कठिनाईयों पर विचार कर उनकी पदस्थापना उसी स्थान पर अथवा आस--पास करने की संभावना पर विचार किया जावे। न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में संचालनालय के पत्र क्र./9/नर्सिंग/सेल–3/2013/588 दिनांक 21.6.2013 द्वारा श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया, स्टाफ नर्स को अभ्यावेदन 7 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु सूचना भेजी गई थी।

श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त न होने के कारण कार्यालय के आदेश क्र. /9/नर्सिंग/सेल–2/2013/838 दिनांक 22.8.2013 द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए श्रीमती चौरसिया स्टाफ नर्स की पदस्थापना जिला चिकित्सालय शहडोल में यथावत रखने हेतु निर्णय लिया गया।

श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया द्वारा दिनांक 5.9.2013 को संचालनालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होनें उल्लेखित किया कि उनके द्वारा 7 दिवस की समय–सीमा के अंदर दिनांक 3.7.2013 को अभ्यावेदन सिविल सर्जन जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त अभ्यावेदन को सिविल सर्जन जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल के पत्र क्र. 16066 दिनांक 6.7.2013 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल को भेजा गया। लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा उक्त अभ्यावेदन संचालनालय को नहीं भेजा जा सका।

श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पुनः याचिका क्र. डब्लू.पी. 16609/2013 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका पर अपने आदेश दिनांक 10.1.2014 द्वारा संचालनालय के आदेश क्र./9/नर्सिंग/सेल–2/2013/838

दिनांक 22.8.2013 को अपास्त करते हुए प्रकरण क्र. डब्लू.पी. 13091/2012 में दिये गये निर्देशों के तहत श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया के अभ्यावेदन पर विचार करने हेतु निर्देशित किया गया।

श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में पुर्नविचार किया गया। विचारोपरान्त श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया को के.एन. के.चिकित्सालय भोपाल में पदस्थ करने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार संचालनालय के आदेश क्र0 9/नर्सिंग/सेल 2/11/2174 दिनांक 14.7.2012 के द्वारा श्रीमति लक्ष्मी चौरसिया, स्टॉफ नर्स का प्रशासकीय आधार पर जिला चिकि. भोपाल से जिला चिकि. शहडोल किया गया स्थानान्तरण संशोधित करते हुए उन्हें के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल में पदस्थ किया जाता है।

9/9/14

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 9/नर्सिंग/सेल–2/2014/901 भोपाल दिनांक 9/9 /2014

प्रतिलिपि –सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. रजिस्ट्रार/उप महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर मध्यप्रदेश।
4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा/भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
5. उप संचालक, लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक शहडोल, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि श्रीमति लक्ष्मी चौरसिया स्टॉफ नर्स को तत्काल स्थानान्तरित स्थान पर कार्यमुक्त करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
7. अधीक्षक के.एन.के चिकित्सालय भोपाल मध्यप्रदेश।
8. श्रीमति लक्ष्मी चौरसिया, स्टॉफ नर्स जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल की ओर पालनार्थ।
9. आदेश नस्ति।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

10/

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 9 / नर्सिग / सेल–2 / 14 / भोपाल दिनांक / 12 / 2014

"आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारी को कॉलम क्रमांक 4 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 5 में दर्शायें गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है ।

क्र.	नाम कर्मचारी	पद	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम	स्थानान्तरण का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	कु. रूपाली बंदेवार	स्टाफ नर्स	जिला चिकि. विदिशा	जिला चिकित्सालय छिंदवाडा	स्वयं के व्यय पर

उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण–पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा ।

1. यदि कोई कर्मचारी संविदा अथवा परिवीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे ।
2. संबंधित सी.एम.ओ. / सी.एस. / संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने / न्यायालयीन प्रकरण संधाारित होने / अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
3. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
4. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
5. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैक्स के माध्यम से करें।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर ....

पृक्मांक/9/नर्सिंग/सेल–2/14/1296 भोपाल दिनांक/9/12 /2014

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यकर विभाग भोपाल।
3. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
4. निज सहायक, सचिव, म.प्र. राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्र. 122–B/ACD/MP/2013 दिनांक 4 मार्च 2014 के संदर्भ मे सूचनार्थ।
5. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)
6. संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐ, भोपाल एवं जबलपुर मध्य प्रदेश।
8. संयुक्त संचालक, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला विदिशा/छिंदवाडा मध्यप्रदेश।
10. सुश्री रूपाली बंदेवार स्टॉफ नर्स जिला चिकित्सालय विदिशा मध्यप्रदेश की ओर तत्काल पालनार्थ।
11. आदेश नस्ती ।

संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल–2/14/ भोपाल दिनांक /12/2014

"आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारी को कॉलम क्रमांक 4 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 5 में दर्शायें गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है ।

क्र.	नाम कर्मचारी	पद	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम	स्थानान्तरण का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	कु. दीपारानी गर्ग	स्टाफ नर्स	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहनगर जिला पन्ना	जिला चिकित्सालय कटनी	प्रशासकीय आधार पर

उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण–पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा ।

1. यदि कोई कर्मचारी संविदा अथवा परिवीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे, किन्तु कु. दीपारानी गर्ग की पुलिस एफ.आइ.आर को देखते हुए इन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जावे।
2. संबंधित सी.एम.ओ./सी.एस./संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधाारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
3. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
4. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
5. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैक्स के माध्यम से करें।

<u>आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।</u>

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर ....

पृक्रमांक/9/नर्सिग/सेल–2/14/1298 भोपाल दिनांक 19/12 /2014

प्रतिलिपी:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यकर विभाग भोपाल।
3. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
4. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, मान. मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल।
5. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)
6. संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐ, सागर एवं जबलपुर मध्य प्रदेश।
8. संयुक्त संचालक, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला कटनी/पन्ना मध्यप्रदेश।
10. बी.एम.ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहनगर जिला पन्ना मध्यप्रदेश।
11. कु. दीपारानी गर्ग पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद गर्ग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहनगर जिला पन्ना मध्यप्रदेश की ओर तत्काल पालनार्थ।
12. आदेश नस्ती ।

संचालक (नर्सिग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश